दिनांक 14.01.2017 को पूर्वाह्न 02.00 बजे प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

बैठक की उपस्थिति :–

1. श्री अमृत लाल मीणा, प्रबंध निदेशक
2. श्री अभय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक
3. श्री सुरेश्वर शर्मा, महाप्रबंधक (मुख्यालय/उत्तर)
4. श्री किशोर कुमार, महाप्रबंधक (परा0 सेवा/प्रशासन)
5. श्री रामाश्रय साहनी, महाप्रबंधक (दक्षिण)
6. मो0 शमशाद, महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण/पी0पी0पी0)
7. श्री तपेश्वर प्रसाद साह, महाप्रबंधक (वित्त)
8. श्री जितेन्द्र कु0 सिंह, उप महाप्रबंधक (वित्त)/सी0एस0/ओ0एस0डी0 टू एम0डी0
9. श्री प्रदीप कुमार, वरीय वास्तुविद्
10. श्री संजीत कु0 सिन्हा, उप महाप्रबंधक (विद्युत)
11. श्री ब्रजेश कुमार राय, सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन)
12. श्री अमर कुमार गौरव, परियोजना प्रबंधक
13. श्री शंकर कुमार, सहायक महाप्रबंधक (वित्त)
14. सुश्री प्रज्ञा सिंह, आंतरिक सज्जाकार
15. श्री संगीत कुमार, सहायक महाप्रबंधक (प्राक्कलन)
16. श्री पंकज कुमार, आई0टी0 मैनेजर
17. श्री अरविंद कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0 (पटना)

बैठक की कार्यवाही :–

प्रबंध निदेशक द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति एवं अन्य कार्य कलापों की समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित निदेश दिये गये :–

1. नये 101 बुनियाद केन्द्र के संबंध में निदेश दिया गया कि परामर्शी से वैसे कार्य स्थलों का नक्शा अविलंब मँगा लें जिनके लिये कार्य आवंटित किया जा चुका है। Design के Models की vetting कराकर परामर्शी से प्राप्त किया जाये। कार्य प्रगति की Daily Monitoring सुनिश्चित की जाये। परामर्शी के Engineers का कार्य स्थलों पर भ्रमण/निरीक्षण शीघ्र प्रारंभ कराया जाये।

कार्रवाईः– महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)

साथ हीं निदेश दिया गया कि Per Transaction 5 करोड़ की सीमा तय करने हेतु पत्र SSUPSW को भेज दिया जाये ताकि सभी कार्य स्थलों पर कार्य प्रारंभ होने के उपरांत भुगतान में असुविधा न हो। योजना के कार्यान्वयन में त्वरित भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाये ताकि मार्च तक रु0 60 करोड़ व्यय के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

कार्रवाईः– महाप्रबंधक (वित्त), सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक

साथ हीं महाप्रबंधक (मुख्यालय) को निदेशित किया गया कि 25 जगहों के लिए निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी लाये तथा शेष जगह जो अभी निविदा के प्रक्रिया में है, उनका निष्पादन

के संबंध में World Bank को E-mail के माध्यम से सूचित करते हुये दिशा निदेश माँगा जाये तथा उक्त के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाये।

कार्रवाई:— महाप्रबंधक (मुख्यालय), वरीय वास्तुविद्

2. पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा कल्याण विभाग द्वारा करीब 35 छात्रावासों के चाहरदीवारी का कार्य निगम को दिया जाना संभावित है। अतः चाहरदीवारी के 100 Running Feet का मॉडल प्राक्कलन बना कर रख लें।

कार्रवाई:— वरीय वास्तुविद्, सहायक महाप्रबंधक (प्राक्कलन)

3. निरूपण में आ रही समस्याओं के विषय में बताये जाने पर मुख्य महाप्रबंधक को निदेशित किया गया कि भवन निर्माण विभाग से दो डिजाईन इंजीनियर की निगम में प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव संचिका में प्रस्तुत करें।

कार्रवाई:— मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक (प्रशासन)

4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत अंजुमन इस्लामिया के संबंध में परामर्शी के Mandate आदि का विस्तार से वर्णन करते हुए संचिका पुनः बढ़ाये।

कार्रवाई:— महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)

5. निगम द्वारा प्रकाशित होने वाले वैसी योजनाओं का Tender Notice जिनकी राशि 25 करोड़ से उपर की हो, उनके लिए Notice के साथ योजना का फोटो भी भविष्य में प्रकाशित करवायें। साथ् हीं निगम द्वारा प्रकाशित होने वाले Tender Documents को Redesign कर आकर्षक बनाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें।

कार्रवाई:— वरीय वास्तुविद्, सहायक महाप्रबंधक (प्राक्कलन), आई0टी0 मैनेजर

6. 131 एवं 13 प्री—फैब गोदाम निर्माण योजना तथा 7 अतिरिक्त गोदाम के संबंध में योजना के शुरुआत से अब तक के प्रकरण के विवरण तथा कुछ समस्याग्रस्त योजनाओं के Solutions सहित प्रस्ताव संचिका में प्रस्तुत करें।

कार्रवाई:— महाप्रबंधक (मुख्यालय), सहायक महाप्रबंधक (प्राक्कलन), परियोजना प्रबंधक

7. 211 एवं 340 पारंपरिक गोदाम निर्माण जो पूर्व में भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। इन योजनाओं को कार्यान्वयन हेतु निगम को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में पूरे प्रकरण तथा ₹27.25 करोड़ के शेष आवंटन के संबंध में आगामी सोमवार को भवन निर्माण विभाग में जाकर संबंधित पदाधिकारी से विमर्श कर लें।

कार्रवाई:— महाप्रबंधक (मुख्यालय)

8. जनवरी 2017 के लिए Schemewise Projected fund requirement की सभी पी0आई0यू0 से प्राप्ति के संबंध में पूछे जाने पर उपमहाप्रबंधक (वित्त) द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर और सारण को छोड़कर शेष सभी पी0आई0यू0 से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। संबंधित महाप्रबंधकों को अविलंब उक्त प्रतिवेदनों को प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

कार्रवाई:— महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण)

9. बोर्ड के निदेशानुसार EPC के अनुरूप निविदा आमंत्रित करने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना से जाकर वार्ता कर उक्त के अनुरूप कार्रवाई करें।

कार्रवाई:— महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)

10. कुछ कार्यस्थलों पर PMIS Android Mobile App के माध्यम से Photo Upload करने मे आ रही समस्याओं के विषय में बताये जाने पर आई0टी0 मैनेजर को पटना स्थित सिविल कोर्ट एवं दशरथ मांझी संस्थान में जाकर समस्या को समझने एवं तत्पाश्चात NIC में जाकर उक्त समस्या का निराकरण शीघ्र कराने का निदेश दिया गया।

कार्रवाईः— आई0टी0 मैनेजर

11. PMIS पर सभी परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों के उपमहाप्रबंधकों/सहायक महाप्रबंधकों/कनीय अभियंताओं द्वारा अब तक किये गये Site visits की वर्तमान स्थिति की समीक्षा सहित Caution सभी संबंधित परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों को भेजें। साथ हीं उन्हें सूचित करें की मुख्यालय स्तर पर PMIS की Intensive Monitoring की जा रही है। जिन उपमहाप्रबंधकों/सहायक महाप्रबंधकों/कनीय अभियंताओं को 15 दिनों के उपरांत समीक्षा के दौरान Poor Perform करते हुए पाया जायेगा उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। उक्त पत्र प्रारूप उनके सम्मुख संचिका में प्रस्तुत किया जाये।

कार्रवाईः— महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण), आई0टी0 मैनेजर

12. विधि विभाग के अन्तर्गत निगम द्वारा कार्यान्वित वैसी योजनाएँ जो किसी कारणवश प्रशासी विभाग के स्तर पर लंबित हैं, के संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार कर उनकी तरफ से विधि विभाग को भेजे जिसकी प्रतिलिपि माननीय पटना उच्च न्यायालय को भी भेजी जाये।

कार्रवाईः— महाप्रबंधक (मुख्यालय)

13. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा कम्प्युटर ऑपरेटरों की आवश्यकता बताये जाने पर महाप्रबंधक (प्रशासन) को निदेश दिया गया कि 30 कम्प्युटर ऑपरेटरों के पैनल की मांग बेल्ट्रॉन से की जाये, जिनमें से 10 की नियुक्ति आवश्यकतानुसार Interview लेने के उपरांत की जाये। Interview उपमहाप्रबंधक (वित्त), आई0टी0 मैनेजर एवं सहायक महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा लिया जाये।

कार्रवाईः— महाप्रबंधक (प्रशासन), उपमहाप्रबंधक (वित्त), आई0टी0 मैनेजर एवं सहायक महाप्रबंधक (वित्त)

14. बेल्ट्रॉन से बात कर भवन निर्माण विभाग में PMU से Video conferencing के लिए वर्तमान में लागू व्यवस्था से निगम को जोड़ने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें।

कार्रवाईः— आई0टी0 मैनेजर

15. निगम में आवश्यक Hardwares के संबंध में एक कमिटी का गठन कर अगले 15 दिनों में निर्णय लें तथा प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित करें।

कार्रवाईः— मुख्य महाप्रबंधक

16. पी0आई0यू0, पटना को छोड़कर शेष सभी पी0आई0यू0 के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार पैनल से IT Associates की सूची संबंधित जिलाधिकारी से मांगे एवं नियुक्ति के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनायें।

कार्रवाईः— सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन)

17. पूर्णिया के Accountant के रिटायर होने के विषय में बताये जाने पर भागलपुर के Accountant का पदस्थापन अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिये जाने हेतु निदेश दिया गया।

कार्रवाईः— सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

20.1.17

(प्रबंध निदेशक)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0 पटना।

ज्ञापांकः–　　　　　　　　　　दिनांकः–
प्रतिलिपिः मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, निगम मुख्यालय के सभी संबंधित पदाधिकारियों तथा प्रबंध निदेशक के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित/प्रेषित।

ह0/–

महाप्रबंधक (मुख्यालय)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।

ज्ञापांकः– 222　　　　　　　　　　दिनांकः– 25/01/17
प्रतिलिपिः परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों के उपमहाप्रबंधकों (बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0) को आवश्यक कार्रवाई हेतु ई–मेल द्वारा प्रेषण के लिए एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0 मैनेजर को प्रेषित।

25.01.17

महाप्रबंधक (मुख्यालय)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।